



केन्द्रीयविद्यालयसंगठन (मुख्यालय)
Kendriya Vidyalaya Sangathan (Hq.)
18ए संस्थागत क्षेत्र शहीद जीत सिंह मार्ग
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg
नई दिल्ली 110016 New Delhi - 110016
टेलीफोन 011-26858570 फेक्स FAX: 26514179
वेबसाइट Website: http://kvsangathan.nic.in

फा०11058/2022/प्र. शि. (संगीत) /चय.वे/केविसं(मु०)/आरपीएस/ 2621-47

दिनांक: 22.08.2023

कार्यालय आदेश

विभागीय स्कीनिंग समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से निम्नलिखित प्राथमिक शिक्षक (संगीत) को भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय) के पत्र सं.एफ.5-180/86-यूटी-1/ दिनांक 12-08-1987, 03-11-1987 एवं 06-02-1989 द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार पेबैण्ड-2 (9,300-34,800)के साथ ग्रेड पे 4,800 (6^{वें} सीपीसी) व लेवल-8 (7^{वें} सीपीसी) के साथ चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाता है वशर्ते कि उन्होंने प्राथमिक शिक्षक (संगीत) के पद पर प्राप्त वरिष्ठ वेतनमान में 12 वर्ष की सेवाएं पूर्ण की हो तथा वह चयनित वेतनमान स्वीकृति की तिथि तक उसी पद पर कार्यरत हो। यदि उन्हें कभी भी, किसी भी कारणवश चयनित वेतनमान हेतु अयोग्य पाया जाता है तो इस आदेश को वापिस ले लिया जाएगा तथा चयनित वेतनमान पर आहरित की गई राशि उनके द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन को वापस लौटानी होगी।

संबंधित प्राथमिक शिक्षक (संगीत) का चयनित वेतनमान पर वेतन निर्धारण केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों पर लागू विलीय नियम-22 (1)(ए)(2)के प्रावधानों के अनुसार ही नियत किया जाएगा। तदनुसार उनके पास विकल्प है - (1) नए वेतनमान में अपना वेतन चयनित वेतनमान देय तिथि से नियत करवा लें या (2) अपना वेतन पुराने पद के वरिष्ठ वेतनमान में अपनी वेतनवृद्धि की तारीख से नियत करवा ले। यदि संबंधित शिक्षक अपना वेतन पुराने पद के वरिष्ठ वेतनमान में अपनी अगली वेतनवृद्धि की तारीख से नियत करने का विकल्प चुनता है तो उसका वेतन उसी चरण पर नियत किया जाएगा, यदि वह चरण उपलब्ध हो या पुराने पद के वरिष्ठ वेतनमान में सामान्य वेतनवृद्धि की स्वीकृति प्रदान करते हुए चयनित वेतनमान पर अगला चरण उपलब्ध हो (i.e. in case, the individual opts for fixation of his/her pay w.e.f. the date of his/her next increment in the Senior Scale of the old post, his/her pay will have to be fixed at the same stage if the same stage is available or the next stage in the selection scale after allowing normal increment in the senior scale of the old post) वेतनवृद्धि का विकल्प संबंधित प्राचार्य को इस आदेश की प्राप्त होने की तिथि से एक महीने के भीतर प्रस्तुत करना होगा तथा इस संदर्भ में प्राथमिक शिक्षक (संगीत) द्वारा जो भी विकल्प दिया जाएगा वह अंतिम होगा। संबंधित प्राथमिक शिक्षक (संगीत) के विवरण निम्नानुसार हैं -

प्राथमिक शिक्षक (संगीत) : (पेबैण्ड-2 ₹ 9,300-34,800 के साथ ग्रेड पे ₹ 4,800 (6^{वें} सीपीसी) व लेवल-8 (7^{वें} सीपीसी)

A. ON THE BASIS OF ACRs AND SERVICE RECORDS, THE COMMITTEE FOUND THE FOLLOWING PRT(MUSIC) 'FIT' FOR GRANT OF SELECTION SCALE FROM THE DATE AS SHOWN AGAINST THEIR NAMES -

S. No.	Sen. no. (as on 01.01.2018)	Name of PRT (Music)	KV where working	Date of appointment for the post of PRT (Music)	Date of drawing senior scale	Date of grant of selection scale
1	235	KRISHAN KUMAR HADA	NAGUAR	19.03.1990	19.03.2002	01.06.2022 *
2	257	ANKUSH KAMBLE	DHARWAD	09.11.1992	09.11.2004	01.01.2022
3	259	BAIKUNTHA NATH BEHERA	INS CHILKA	26.11.1992	26.11.2004	01.01.2022
4	263	PVKDK KEELADRI SARMA	NO.1 VIJAYWADA	25.09.1993	25.09.2005	01.01.2022
5	266	SUNITA BANGROO	NO. 3 PATHANKOT	19.10.1993	19.10.2005	01.01.2022
6	267	GOURANGA GOUDA	NO.1, CUTTACK	19.11.1993	19.11.2005	01.01.2022
7	268	MANOJ KUMAR PANDEY	ETAWAH	27.08.1993	27.08.2005	01.01.2022
8	269	DEEP SINGH	MIRAN SAHIB	19.10.1993	31.12.2005	01.01.2022
9	270	RAJESH SRIVASTAV	SITAPUR (2ND SHIFT)	10.11.1993	10.11.2005	01.01.2022

10	271	ARVIND TANEJA	NO. 2 BIKANER	12.10.1993	12.10.2005	01.01.2022
11	273	NAMITA PAWAR	PL MEERUT	10.11.1993	10.11.2005	01.01.2022
12	274	MANASI DEVI	MANGALDOI	13.08.1993	13.08.2005	01.01.2022
13	276	RUNU BALA SAHARIA	NORTH LAKHIMPUR	27.08.1993	27.08.2005	01.01.2022

* Selection Scale is granted from the next date of completion of in-service course.

B. THE DSC FOUND THE FOLLOWING PRT (MUSIC) NOT ELIGIBLE FOR GRANT OF SELECTION SCALE FOR "NOT ATTENDING INSERVICE TRAINING COURSE DURING THE PRECEEDING SIX YEARS ON THE BASIS OF DATA SUBMITTED BY CONCERNED REGIONAL OFFICE -

S. No.	Sen. no. (as on 01.01.2018)	Name of PRT (Music)	KV where working	Date of appointment for the post of PRT (Music)	Date of drawing senior scale
1	238	SANGEETA SHARMA	NO.3 MORAR CANTT. GWALIOR	17.02.1990	17.02.2002
2	239	LOVELY CHANDRA	INA COLONY	19.02.1990	19.02.2002
3	252	MIKI KUMARI	INS VALSURA	12.11.1993	12.11.2005
4	255	MANJU VERMA	BULANSHAHAR (II SHIFT)	28.11.1994	28.11.2006
5	256	RANJANA RANGRAY	ZIRAKPUR	04.02.1992	04.02.2004
6	258	S L GIRI	KHURDA ROAD	25.11.1992	25.11.2004
7	260	PRIYA DHARGE	AFS HAKIMPET	28.11.1992	28.11.2004
8	265	SANGEETA SHARMA	ARMY CANTT. BHUJ	21.12.1993 (A/F)	31.12.2005
9	275	RAMA MISHRA	CRPF GANDHINAGAR	04.01.1994	04.01.2006

C. THE DSC FOUND THE FOLLOWING PRT (MUSIC) UNFIT FOR GRANT OF SELECTION SCALE DUE TO SUPERANNUATION/ TOOK VRS BEFORE COMING INTO THE ZONE OF CONSIDERATION UNDER 20% CEILING:

S. No.	Sen no.(as on 01.01.2018 list)	Name of PRT (Music)	KV where working	Date of appointment for the post of PRT (Music)	Date of drawing senior scale	Date of retirement/VRS
1	205	RENU BALA CHATURVEDI	AFS TUGHLAKABAD (SHIFT -2)	14.09.1988	14.09.2000	TOOK VRS w.e.f. 01.12.2020
2	261	PRANAB KR. BISWAS	SALBONI	29.11.1992	29.11.2004	RETIRED ON 30.11.2019
3	262	ALPANA SEN	MASIMPUR	26.11.1993	26.11.2005	RETIRED ON 31.12.2021
4	264	SANGEETA ROY	AFS BAMRAULI ALLD	04.04.1994	...	TOOK VRS w.e.f. 01.10.2017
5	272	N. C. PANDEY	OOTACAMUND HPF	30.03.1994	...	TOOK VRS w.e.f. 01.10.2018

(शशि कर्त शर्मा)
सहायक आयुक्त (भ.प.व.)

प्रतिलिपि प्रेषित-

- उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, सभी संभागीय कार्यालय को इस निवेदन के साथ कि वह अपने संभाग के अधीन आने वाले सभी केन्द्रीय विद्यालयों के प्राचार्य तथा संबंधित शिक्षको को यह आदेश सूचनार्थ एवं समुचित अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित करें।
- उपायुक्त (शैक्षिक एवं ईडीपी) के.वि.सं. (मु.) नई दिल्ली को इस निवेदन के साथ कि वे इस कार्यालय आदेश को के.वि.सं. (मु.) की वेबसाइट पर अपलोड करें।

3. प्राचार्य संबंधित केन्द्रीय विद्यालय को इस निर्देश के साथ कि -

- i) चयनित वेतनमान प्रदान करने से पहले आदेश में संबंधित शिक्षक के दिये गए विवरण उनके सेवा रिकार्ड से जांच लिए जाएं तथा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि संबंधित शिक्षक की पदोन्नति की तिथि उनके चयनित वेतनमान स्वीकृति की तिथि से पूर्व न हो। कोई भी त्रुटि पाए जाने पर आदेश प्राप्ति की तिथि से 15 दिन के अंदर इस कार्यालय को सूचित करें।
- ii) संबंधित शिक्षक से 3 प्रतियों में प्रपत्र में वचनबंध ले ली जाए, जिसकी एक प्रति उसकी सेवा पुस्तिका, दूसरी प्रति उसकी व्यक्तिगत मिसिल तथा तीसरी प्रति संबंधित संभागीय कार्यालय को सूचनार्थ अग्रेषित की जाए।
- iii) इस आदेश को लागू करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि संबंधित शिक्षक के विरुद्ध कोई सतर्कता मामला / विभागीय कार्रवाई लंबित ना हो और संबंधित शिक्षक ने चयनित वेतनमान देय तिथि से पिछले 6 वर्षों में 21 दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण ग्रहण किया हो।
- iv) अन्य विवरण जैसे केन्द्रीय विद्यालय का नाम, पदभार ग्रहण तिथि, वरिष्ठ वेतनमान देय तिथि भी जांच ली जाए।